किए जा रहे हैं । हालांकि, साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं । 1985 तक इस उपलब्धता को लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का अंतरिम प्रस्ताव है । इन कुल लक्ष्यों के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समनुरूप पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जा रही है ?

Small scale formulation of insecticides

3848. DR. A. KALANIDHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is true that the Central Insecticide Board has taken an attitude of indifference for the majority of the small scale formulators in the matter of Registration and clarifying doubts. thus perpetuating monopolistic tendencies for the past 2 to 3 years;

(b) are Government aware that the large section of pesticide formulation industry comes under sick list; and

(c) whether Government propose to lay down a time-bound programme for clearing the pending applications of Registrations and also issue substitute Registrations with the similar conditions of registrations as applied in the case where licences have already been issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) No, Sir. The Central Insecticides Board does not deal with registration matters, which come under the purview of a separate statutorily constituted Registration Committee.

(b) No, Sir.

(c) The Government has started reviewing old pending cases of different types with a view to expediting their disposal.

उत्तर प्रदेश में गुड़ उत्पादकों को गन्ने की बिक्री के लिए करार

3849. श्री राम सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा गुड़ उत्पादकों को 20 रुपये से 24 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना बेचने के लिए एक करार किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा गन्ने का उचित बाजार भाव निर्धारित न करने के कारण सभी चीनी मिलें बन्द नहीं हो जायेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख). सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य गत वर्ष के 12.50 रुपये की तुलना में 13.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । फैक्ट्रियों को गन्ने का अधिक मूल्य देने की क्षमता को देखते हुए, प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों को भी यह परामर्श दिया है कि वे गन्ने का न्यूनतम मूल्य 16.00 रुपये प्रति क्विंटल दिलवाना सुनिश्चित करें । तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह पर उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियां गन्ना उत्पादकों को वास्तव में 20 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास गन्ने का मूल्य दे रही हैं जोकि लाभकारी मूल्य समझा जाता है और वह चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की पूर्ति करने हेतु किसानों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा ।